न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:– 2021/407 दर्ज तिथिः–27.09.2020

1. मूर्ति मन्दिर श्री सीताराम जी महाराज नाबालिग पुजारी सत्यनारायण शर्मा पुत्र श्री भगवानसहाय शर्मा उम्र 60 साल जाति ब्राह्मण निवासी बाछडी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

............................प्रार्थी

बनाम

1. मातादीन पुत्र मुकन्दा
2. गणेश पुत्र मुकन्दा
3. मोहन पुत्र रमशी
4. रामदयाल पुत्र रमशी
5. भोलाराम पुत्र नहनू
6. दयाराम पुत्र नहनू
7. महादेव पुत्र गोदूराम
8. लक्ष्मण पुत्र गोदूराम
9. गिर्राज पुत्र गोदा
10. रामप्रताप पुत्र चन्दर
11. रामनारायण पुत्र चन्दर
12. कैलाश पुत्र किसना
13. नन्दालाल पुत्र रामेश्वर
    समस्त जातियान मीना निवासीयान बाछडी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर राज0

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित
प्रार्थी अधिवक्ताः– श्री रतनेश मेवाल।
अप्रार्थी अधिवक्ताः– श्री पेमाराम मेवाल।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–128
राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.21 12:10:29 IST
Reason: SelfAttested

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–12.06.2023

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–128 राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की हाल आराजी खसरा नम्बर 200/0.46 है0, 201/0.30 है0, 236/0.18 है0, 237/0.19 है0, 238/0.72 है0, 239/0.19 है0, 240/0.30 है0, 243/0.10 है0, 84/1.37 है0, 85/1.07 है0 वाके ग्राम बाछडी तहसील थानागाजी जिला अलवर में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थी की कब्जेकाश्त खातेदारी की सालिम आराजी है एवं आराजी पर प्रार्थी काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काश्त करता चला आ रहा है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थी की आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थी द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार थानागाजी के यहां प्रार्थना–पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार थानागाजी द्वारा दिनांक 21.06.2018 को मौके पर उपस्थित होकर उक्त आराजी का सीमांकन कराकर निशानदेही कराई गई। परन्तु अप्रार्थीगण पैमाईश को नहीं मान रहे है तथा प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाना चाहते है। अब प्रार्थी मुताबिक पैमाइश रिपोर्ट दिनांक 21.06.2018 के आधार पर आराजी की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। अंत में प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी मुताबिक पैमाइश के अनुसार कराए जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद विधिवत तामील बाद अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 03, 05 व 13 बाद तामील अनुपस्थित होने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। शेष अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री पेमाराम मेवाल ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। प्रकरण में तहसीलदार थानागाजी को पत्र क्रमांक कोर्ट/2023/1096 दिनांक 20.01.2023 द्वारा बिन्दुवार विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट निर्धारित चैकलिस्ट में तैयार करने हेतु लिखा गया। जिसकी पालना में पटवार हल्का किशोरी ने दिनांक 27.02.2023 को मौके पर जाकर निर्धारित चैकलिस्ट में बिन्दुवार विस्तृत तथ्यात्मक तैयार कर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की।

3. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाइश दिनांक 21.06.2018 के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है। जिस पर अप्रार्थी अधिवक्ता ने सहमति जाहिर की।

4. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***111. Decision of disputes as to boundaries.***—*(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.21 12:10:29 IST
Reason: SelfAttested

> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.*

5. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***128. Boundary disputes.*** *- All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*
>
> ***Provided that*** *applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

6. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2074–77 वाकै ग्राम बाछडी में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार थानागाजी द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड वाके ग्राम बाछडी के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थी की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश दिनांक 21.06.2018 से भी यह तथ्य प्रार्थी साबित है कि प्रार्थी द्वारा तहसीलदार थानागाजी के माध्यम से हल्का पटवारी से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश कराई जा चुकी है। सीमाज्ञान रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर आराजी खसरा नम्बर 232 किस्म गै0 मु0 चाह, 247 किस्म गै0 मु0 चाह को मुश्तकिल बिन्दू खसरा नम्बरान 200/0.46 है0, 201/0.30 है0, 236/0.18 है0, 237/0.19 है0, 238/0.72 है0, 239/0.19 है0, 240/0.30 है0, 243/0.10 है0, 84/1.37 है0, 85/1.07 है0 वाके ग्राम बाछडी की दक्षिणी सीमा का ज्ञान कराया गया। आराजी खसरा नम्बर 15 किस्म गै0 मु0 चाह को मुस्तकिल बिन्दु मानकर जरीब चलाई गई तथा खसरा नम्बर 84 व 85 की उत्तरी सीमा एवं पश्चिमी सीमा बताई गई। इस प्रकार खसरा नम्बरान 200/0.46 है0, 201/0.30 है0, 236/0.18 है0, 237/0.19 है0, 238/0.72 है0, 239/0.19 है0, 240/0.30 है0, 243/0.10 है0, 84/1.37 है0, 85/1.07 है0 वाके ग्राम बाछडी की चारों सीमाओं का ज्ञान करवाया जाकर प्रार्थी को संतुष्ट किया गया है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त वर्णित आराजी की खसरे की सीमाओं को लेकर अप्रार्थी के साथ सीमा विवाद है।

7. प्रकरण में राजस्व विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के परिपत्र क्रमांक 3(2) राज–6/2007/पार्ट/5 दिनांक 12.09.2018 के द्वारा मंदिर माफी की भूमि पर अतिक्रमण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.21 12:10:29 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांकः–12.06.2023

संबंध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–91 के तहत चारागाह/सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण के समान कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण हटाये जाने के निर्देश संबंधित तहसीलदारो को दिये गये है। उक्त परिपत्र के संदर्भ में तहसीलदार थानागाजी द्वारा उक्त मन्दिर माफी की आराजी का सीमाज्ञान कर अतिक्रमण, अगर कोई हो तो, चिन्हित कर अतिक्रमण के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–91 के कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिया जाना उचित प्रतीत होता है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र औचित्यहीन प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा–128 भू–राजस्व अधिनियम–1956 के बाबत् पत्थरगढ़ी किये जाने का अस्वीकार किया जाता है। साथ ही तहसीलदार थानागाजी को निर्देश दिये जाते है कि हाल आराजी खसरा नम्बरान 200/0.46 है0, 201/0.30 है0, 236/0.18 है0, 237/0.19 है0, 238/0.72 है0, 239/0.19 है0, 240/0.30 है0, 243/0.10 है0, 84/1.37 है0, 85/1.07 है0 वाके ग्राम बाछडी तहसील थानागाजी पर उक्त परिपत्र क्रमांक 3(2) राज–6/2007/पार्ट/5 दिनांक 12.09.2018 के निर्देशानुसार कार्यवाही करे।

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार थानागाजी को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 12.06.2023 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.21 12:10:29 IST
Reason: SelfAttested